15

संख्या–1353/XXVIII(1)/2011-19/2006 TC-II

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान,
श्रीनगर गढ़वाल।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 01 दिसम्बर, 2011

विषयः– प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल में 200 बैडेड् वार्ड के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल में 200 बैडेड् वार्ड के निर्माण कार्य के साथ दो लिफ्ट एवं इन्टरकॉम सिस्टम की स्थापना हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि एवं व्यय वित्त समिति की सहमति के उपरान्त कुल धनराशि ₹ 1682.35 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लेखाशीर्षक–4210–03–105–03–श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना के मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य में अवशेष रू0 37.98 लाख की धनराशि को, संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के विवरणानुसार रू0 635.02 लाख की धनराशि के साथ सम्मिलित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू0 673.00 लाख (रू0 छः करोड़ तेहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए इतनी ही धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2. कार्य आरम्भ करने से पूर्व एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप प्रस्तावित कार्य में दी गयी व्यवस्थाओं का अवलोकन इस उद्देश्य से कर लें कि इसके संचालन में व्यवहारिक कठिनाईयां न उत्पन्न हो। इस हेतु सम्बन्धित विशेषज्ञ डाक्टरों से परामर्श करते हुए Drawing and Designing पर संतुष्ट हो लें।

3. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आबंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण

पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण तीन किश्तों में (रू0 2.73 करोड़ +रू0 2.00 करोड़ + रू0 2.00 करोड़), कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम किश्त के पूर्ण व्यय होने पर ही क्रमिक रूप से की जायेगी।

4. शासनादेश संख्याः–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम0ओ0यू0 के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जायेगा।

8. उक्त धनराशि बिन्दु–2 के अनुसार तत्काल आहरित कराई जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

9. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैन्युवल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

11. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या हर दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

12. कार्य की गुणवत्ता के सन्दर्भ में नियोजन विभाग के माध्यम से थर्ड पार्टी चेकिंग की व्यवस्था की जायेगी, जिसके सापेक्ष आने वाला व्ययभार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

13. इस कार्य हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का भी अनुपालन किया जायेगा।

14. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105– एलोपैथिक 03–श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानक मद 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा पुर्नविनियोग प्रपत्र बी0एम0–15 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–283(P)/XXVII(3)2011-12 दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6- वित्त नियंत्रक, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।
7- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इकाई–02 श्रीनगर गढ़वाल।
8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9- वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

शासनादेश सं0–1353 /XXVIII(1)/2010-19/2006TCII का संलग्नक

बी0एम0–15

नियंत्रक अधिकारीः प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल

पुनर्विनियोजन का आवेदन पत्र

(वित्तीय वर्ष 2011–12)

(हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोजन के बाद के स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि (1–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत				4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत			वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल में प्रस्तावित 200 शैय्याओं के वार्ड के निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता है। पांचवे वर्ष की मान्यता हेतु माह अप्रैल 2012 में एम0सी0आई0 द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। उससे पूर्व 200 शैय्याओ के वार्ड का निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना अति आवश्यक है। अतः पुनर्विनियोजन प्रस्ताव के माध्यम से धनराशि आवंटित की जानी प्रस्तावित है।
03– चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				03– चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105– एलोपैथी				105– एलोपैथी			
09–राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना				03–श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना			
24–वृहद निर्माण कार्य 80000	538	62700	16762	24–वृहद निर्माण कार्य 63502	73502	62700	
10–नर्सिंग कालेज की स्थापना							
24–वृहद निर्माण कार्य 100000	0	53260	46740				
योग– 180000	538	115960	63502	योग– 63502	73502	135025	

नोटः– प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोजन से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग
संख्या–283(P)/वित्त अनुभाग–3/2011
देहरादूनः दिनांकः 01 दिसम्बर, 2011
पुनर्विनियोजन स्वीकृति

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी)
ओबराय बिल्ड़िंग, माजरा, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

संख्याः – 1353 /XXVIII(1)/2010-19/2006TC-II दिनांक–01 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–2
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

C:\Documents and Settings\A\Desktop\SSP\Table B.M. 15.doc Punar viniyog